न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – श्री उम्मेद सिंह रतनू , आर.ए.एस.

वादपत्र संख्या 053/2020
अन्तर्गत धारा 53, राज. काश्तकारी अधिनियम

1. अमरजीत सिंह पुत्र श्री महेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 9 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)
....वादी

ब ना म

1. अमृतपाल सिंह पुत्र श्री महेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 9 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर।
3. शाखा प्रबंधक एसबीबीजे (हाल एसबीआई) चूनावढ़
...प्रतिवादीगण

उपस्थित– श्री संजय जनवेजा (वादी)
श्री दिनेश छाबड़ा (प्रतिवादी 1)
राज पैरोकार (प्रतिवादी 2)
श्री भगवान दास (प्रतिवादी 3)

दिनांक 08.04.2021

–निर्णय–

वाद पत्र के तथ्यों के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी के नाम से संयुक्त खाता मे बाके चक 10 जी छोटी पटवार हल्का क्षेत्र 27 जी जी भू0 अ0 निरीक्षक क्षेत्र बुर्जवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 3/4 का मुरब्बा नम्बर 50 कुल 3.162 है0 नहरी कुषि भूमि दर्ज कागजात राजस्व रिकार्ड है। उक्त भूमि में से वादी अमरजीत सिंह पुत्रद श्री महेन्द्र सिंह के नाम से 332/527 हिस्सा यानि 1.992 है0 कृषि भूमि तथा प्रतिवादी अमृतपाल सिंह पुत्र श्री महेन्द्र सिंह के नाम से 195/527 हिस्सा यानि 1.170 है0 भूमि दर्ज है यानि उक्त संयुक्त खाता की भूमि में से 1.992 है0 भूमि का मालिक, काविज व खातेदार है। उक्त भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की संयुक्त की खाता की भूमि है तथा कब्जा भी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का संयुक्त चला आ रहा है, वादी अपने हिस्सा में दर्ज होने के कारण वादी अपने हिस्सा के रकबा के सुधार कार्य करवा पाने में असमर्थ है तथा आबियाना आदि अदा करने व पानी की बारी को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है तथा वादी विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं उठा पाता है। इसलिए वादी उक्त रकबा का खाता विभाजन करवा कर किलावाईज रकबा अपने नाम से दर्ज करवाने का अधिकारी है। उक्त कुल भूमि की किरम एक जैसी ही तथा सारी भूमि पैदावार भी एक जैसी ही होती है, कोई टुकड़ा अच्छा या बुरा नहीं है। वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से बार बार आग्रह किया है कि वह उक्त संयुक्त ,ाता की भूमि का सहमति से बंटवारा करवा पूरी भूमि में से कहीं से भी वादी का एक टुकड़े में भूमि दे देवे तथा किलावाईज राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवा लेवे, मगर प्रतिवादी संख्या 1 आज कल, आज कल कहकर टाल मटोल करता रहा, मगर अब प्रतिवादी सं,या 1 के मन में गलत लालच आ गया है तथा वह उक्त भूमि को बिना बंटवारा के मुन्तकिल कर अनुचित लाभ कमाने की फिराक में है। वादी द्वारा आग्रह करने पर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दिनांक 25.09.2020 को सहमति से बंटवारा करवाने से इनकार कर दिया है तथा प्रार्थी को धमकी दी है कि मैं तो बिना बंटवारा के भूमि को बेचूंगा। यदि प्रतिवादी संख्या 1 उक्त आराजी को बिना बंटवारा करवाए विकय/मुन्तकिल करने में सफल हो गया तो वाद की बाहुल्यता बढेगी तथा वादी बिना वजह मुकदमाबाजी में फंस जाएगा। इसलिए वादी इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी हैं कि प्रतिवादी संख्या 1 विवादग्रस्त भूमि को

सहायक कलक्टर एवं

Scanned with CamScanner

... रहन, बय या अन्य तरीके से हस्तांतरण करने से निषिद्ध रहें। प्रतिवादी संख्या 2 लैण्ड होल्डर हाने के कारण आवश्यक पक्षकार है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री किया जावेः–

(क) डिक्री खाता विभाजन वाके चक 10 जी छोटी पटवार क्षेत्र 27 जी जी भू. अ. निरीक्षक क्षेत्र बुर्जवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 3/4 का मुरब्बा नम्बर 50 कुल 3.162 हैक्टे0 नहरी कृषि भूमि की सादिर की जाकर तहसीलदार से विभाजन का प्रस्ताव मंगवाया जाकर वादी की 1.992 हैक्टे0 भूमि का अलग खाता कायम किया जाकर वादी को एक टुकड़े में 1.992 हैक्टे0 भूमि विभाजन में दिलाई जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने, अलग लगान मामला कायम करने का आदेश फरमाया जावे। का वादी को खातेदार घोषित किया जावे। तथा उक्त भूमि वादी के नाम से दर्ज करवाई जाकर अलग लगान कायम करने का आदेश फरमाया जावे।

(ख) वादी के पक्ष में खिलाफ प्रतिवादी इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जावे कि प्रतिवादी विवादग्रस्त भूमि वाके चक 10 जी छोटी पटवार क्षेत्र 27 जी जी भू. अ. निरीक्षक क्षेत्र बुर्जवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 3/4 का मुरब्बा नम्बर 50 कुल 3.162 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि को बिना विभाजन करवाए रहन, बय या अन्य तरीके से हस्तांतरण करने से निषिद्ध रहें।

(ग) अन्य कोई अनुतोष जो न्यायालय उचित समझे।

दिनांक 20.11.2020 को प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से प्रस्तुत जवाबदावा के तथ्यों के अनुसार वाद पत्र की चरण संख्या 1 ता 6 के समस्त कथन जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। वाद पत्र की किसी भी चरण में प्रार्थी बैंक के विरूद्ध कोई कथन नहीं किया गया है। उतरदाता बैंक की ओर से निवेदन है कि वादग्रस्त भूमि में अमरजीत सिंह पुत्र श्री महेन्द्र सिंह के हिस्सा पर बैंक का रहन है। ऐसी स्थिति में वादीगण को आदेशित किया जाना आवश्यक है कि वे पहले बैंक का ऋण अदा कर अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेंवे, अन्यथा बंटवारे की स्थिति में उतरदाता बैंक को ऋण की वसूली में कठिनाई होगी। वाद पत्र के समस्त तथ्य जानकारी के अभाव में अस्वीकार है तथा प्रार्थी बैंक के विरूद्ध किसी भी प्रकार का कोई अनुतोष भी वांछित हैं। इसलिए वादीगण का वाद विरूद्ध प्रार्थी बैंक सव्यय खारिज किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है। अतः जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वाद प्रार्थी बैंक के विरूद्ध सव्यय खारिज फरमाया जावे।

दिनांक 02.02.2021 को प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत जवाब वाद पत्र मय काउन्टर क्लेम के तथ्यों के अनुसार मद संख्या 1 वाद पत्र में अंकित तथ्य गलत ब्यानी होने के कारण स्वीकार नहीं है। वादी के द्वारा अपना पंजीकृत पता गलत दर्ज किया है। वादी चक 9 जी छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर में निवास नहीं करता है वरन् स्थायी रूप से जयपुर में निवास करता है। वादी की चक 9 जी छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर में निवास करने की कोई साक्ष्य नहीं है। वादी का पेशा कृषि होने के तथ्य अस्वीकार है। प्रतिवादी मुजीब का पंजीकृत पता वही है जो कि वाद पत्र के शीर्षक में अंकित है। मद संख्या 2 वाद पत्र में अंकित तथ्यों में से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का आपस में सगे भाई होने के तथ्य स्वीकार है। इस मद में वर्णित यह तथ्य कि वादी एवं प्रतिवादी के नाम से संयुक्त खाता में वाके चक 10 जी छोटी, पटवार क्षेत्र 27 जी.जी., भू. अ. निरीक्षक क्षेत्र बुर्जवाली, तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 3/4 का मुरब्बा नम्बर 50 की कुल 3.162 है0 नहरी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है, इस संशोधन के साथ स्वीकार है कि इस मद में वर्णित भूमि महज राजस्व रिकॉर्ड में वर्णित हिस्सानुसार दर्ज रिकॉर्ड है जबकि वास्तव में पारिवारिक बंटवारा में मिन प्रतिवादी को वाद में विवादित की गयी भूमि में से 5.12 बीघा अर्थात प्रतिवादी के नाम से दर्ज भूमि से 1 बीघा भूमि अधिक हिस्सा में आयी थी जो घरू बंटवारा अनुसार वादी के द्वारा मिन प्रतिवादी के नाम से अंकन करवायी जानी थी लेकिन लालचवश होकार एवं भूमि अपने नाम दर्ज होने का अनुचित लाभ उठाकर एवं प्रतिवादी का घरू बंटवारा अनुसार आया एक बीघा अधिक का हिस्सा हडपने के आशय

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(...

वेग तथ्यों पर मौजूदा वाद विभाजन हेतू प्रस्तुत किया गया है। वादी के नाम से 1.992 है0 भूमि महज रिकॉर्ड में दर्ज होना इस संशोधन के साथ स्वीकार है कि इस 1.992 है0 भूमि में से 0.253 है0 भूमि प्रतिवादी के हक व हिस्सा में घरू बंटवारा अनुसार आयी है जिसे प्रतिवादी अपने नाम से अंकन करवा पाने का विधिक अधिकारी है अर्थात प्रतिवादी 1.170 है0 अपने नाम से दर्ज भूमि एवं 0.253 है0 घरू बंटवारा में प्राप्त होने के कारण कुल 1.4230 है0 भूमि का खातेदार कृषक है एवं इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम से दर्ज करवा पाने का अधिकारी है जिस हेतू काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया जा रहा है। यह तथ्य असत्य एवं असंगत होने के कारण अस्वीकार है कि संयुक्त खाता की भूमि में से 1.992 है0 भूमि का वादी मालिक, काबिज वा खातेदार हो। वादी का वाद में विवादित की गयी कृषि भूमि पर कब्जा नहीं है। यहां यह अंकित करना विशेष रूप से आवश्यक होगा कि वाद में विवादित कृषि भूमि में से मुरब्बा नम्बर 50 के किला नम्बर 1 सालम, 2 सालम, 3 के 12 बिस्वा, 8 सालम, 9 सालम, 10 सालम, कुल 5.12 बीघा पर प्रतिवादी का कब्जा साधिकार एवं शेष भूमि पर अर्सा दराज से पिता के जीवनकाल से प्रतिवादी का चला आ रहा है क्योंकि वादी जयपुर में निवास करता है एवं उसके द्वारा कभी भी भूमि को काश्त नहीं किया गया है। पारिवरिक बंटवारा एवं समझौता अनुसार 4.12 बीघा पर साधिकार एवं शेष भूमि पर पिता के जीवनकाल से ही एवं वादी की जानकारी से प्रतिवादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। मद संख्या 3 वाद पत्र में अंकित तथ्य गलत ब्यानी होने के कारण कतई स्वीकार नहीं है। महज रिकॉर्ड में भूमि संयुक्त दर्ज है लेकिन यह तथ्य असत्य एवं असंगत होने के कारण अस्वीकार है कि वादी एवं प्रतिवादी मुजीब का कब्जा संयुक्त चला आ रहा है। यह तथ्य असत्य एवं असंगत होने के कारण अस्वीकार है कि वादी अपनी भूमि पर सुधार कार्य करवाना चहता है एवं यह तथ्य भी असत्य होने के कारण अस्वीकार है कि वादी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पर रहा है वरन् वास्तव में वादी कब्जा से बाहर है एवं भूमि अपने नाम से दर्ज होने का अनुचित लाभ उठाकर घरू बंटवारा एवं पारिवरिक समझौता की खिलाफवर्जी कर विभाजन के नाम पर भूमि अपने नाम से पृथक दर्ज करवाकर भूमि बेचान करने पर उतारू हो रहा है। वादी खाता विभाजन करवाने अथवा किलावाईज कब्जा अपने नाम से अंकित करवा पाने का कतई अधिकारी नहीं है। मद संख्या 4 वाद पत्र में अंकित तथ्य जिस प्रकार से ब्यान किये गये है, स्वीकार नहीं है। भूमि की किस्म एक समान होना स्वीकार नहीं है। पारिवारिक समझौता एवं घरू बंटवारा में प्रतिवादी मुजीब को एक बीघा भूमि इसी आशय से अधिक दी गयी थी क्योंकि वादी को अच्छी भूमि दी जा रही थी एवं प्रतिवादी को थोड़ी हल्की भूमि दी जा रही थी जिस पर वादी की सहमति से ही प्रतिवादी को मुरब्बा नम्बर 50 का किला नम्बर 1, 2, 3 में 12 बिस्वा एवं 8 ता 10 कुल 5.12 बीघा दी गयी थी एवं शेष भूमि पर प्रतिवादी अर्सा दराज से काबिज है। वादी का इन तथ्यों को दर्ज करने के पीछे बदनीयतपूर्वक आशय पारिवारिक समझौतानामा से पीछे हटना एवं प्रतिवादी को दी गयी एक बीघा भूमि को वापिस प्राप्त करना है। यह तथ्य असत्य एवं असंगत होने के कारण अस्वीकार है कि वादी के द्वारा कथित रूप से प्रतिवादी मुजीब को संयुक्त खाता की भूमि के विभाजन हेतु एवं कथित रूप से एक टुकड़े में भूमि देने का कथन कर राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज करवाने का कथन किया हो एवं प्रतिवादी के द्वारा कथित रूप से इन्कार किया हो। यह तथ्य भी असत्य एवं असंगत होने के कारण अस्वीकार है कि प्रतिवादी भूमि को मुन्तकिल करने के लिए प्रयासरत हो। यह तथ्य भी असत्य एवं असंगत होने के कारण अस्वीकार है कि वादी को कथित दिनांक 25.09.2020 अथवा अन्य किसी भी दिनांक को प्रतिवादी के खिलाफ मौजूदा वाद बंटवारा का प्रस्तुत करने का वाद हेतूक हासिल हुआ हो। ऐसे तथ्यों के आधार पर वादी वाद प्रस्तुत करने का कतई अधिकारी नहीं है। मद संख्या 5 वाद पत्र में अंकित तथ्य गलत ब्यानी होने के कारण स्वीकार नहीं है। प्रथम तो प्रतिवादी भूमि बेचान करने हेतु अग्रसर नहीं है एवं द्वितीय हिस्सा की भूमि का बेचान करने में कोई कानूनी बाधा नहीं है। वादी प्रतिवादी मुजीब के खिलाफ एवं सहकाश्तकारा के खिलाफ विशेष तौर से रहन, बैय अथवा हस्तान्तरण की अस्थायी निषेधाज्ञा कानूनन प्राप्त करने का कतई अधिकारी नहीं है। यहां यह भी अंकित करना आवश्यक होगा कि वादी के द्वारा वाद पत्र में ही

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

अनुतोष के तौर पर अस्थायी निषेधाज्ञा की मांग की है एवं इसकी भी डिक्री चाही है कि प्रथम तो कानूनी तौर पर दी नहीं जा सकती है एवं द्वितीय सहकाश्तकार एवं खातेदार के खिलाफ ऐसा अनुतोष पारित नहीं किया जा सकता है। मद संख्या 6 वाद पत्र में अंकित तथ्य कानूनी है जवाब की आवश्यकता नहीं है। मद संख्या 7 वाद पत्र में अंकित तथ्य कानूनी है जवाब की आवश्यकता नहीं है। वादी वांछित अनुतोष प्राप्त करने का कतई अधिकारी नहीं है। यहां यह भी अंकित करना आवश्यक होगा कि भूमि का पूर्व में ही घरू विभाजन हो चुका है एवं पारिवारिक समझौता में प्रतिवादी को मुरब्बा नम्बर 50 का किला नम्बर 1, 2, 3 में 12 बिस्वा एवं किला नम्बर 8 ता 10 कुल 5.12 बीघा भूमि प्राप्त हुई है जिसमें से 4.12 प्रतिवादी के नाम से दर्ज है एवं 1 बीघा पारिवारिक समझौता में प्रतिवादी के नाम से वादी के द्वारा लगवायी जानी तैय पाया हुआ है ऐसी स्थिति में उपरोक्तानुसार प्रतिवादी के नाम से उक्त वर्णित भूमि रिकॉर्ड में दर्ज की जाकर विभाजन किया जाता है तो प्रतिवादी को कोई आपत्ति नहीं है। वैसे भी एक बार विभाजन हो जाने पर दुबारा विभाजन नहीं किया जा सकता है। इसलिये वाद पत्र निरस्त किये जाने योग्य है। प्रतिवादी पृथक से अपना काउन्टर क्लेम इस संबंध में प्रस्तुत कर रहा है। तहसील व जिला श्रीगंगानगर के चक 10 जी छोटी, पटवार क्षेत्र 27 जी.जी. का खाता संख्या 3/4, मुरब्बा नम्बर 50 की कुल 3.162 है0 भूमि राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थी/वादी एवं प्रार्थी/प्रतिवादी के नाम से दर्ज है जिसमें 332/527 अप्रार्थी/वादी के नाम से महज रिकॉर्ड में एवं 195/327 प्रार्थी/प्रतिवादी के नाम से दर्ज है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी आपस में सगे भाई है जिनके पिता का देहान्त हो चुका है। पिता के जीवनकाल में ही अप्रार्थी/वादी जयपुर स्थायी रूप से निवास करने लगा था। परिवार की कृषि भूमियों के विभाजन के समय परिवारिक समझौता अनुसार एवं तमाम भूमि को प्रार्थी/प्रतिवादी के द्वारा काश्त करने के कारण एवं भूमि प्रार्थी/प्रतिवादी के नाम से कम होने एवं अच्छी किस्म की भूमि नहीं होने के कारण परस्पर सहमति से यह तैय पाया गया था कि अप्रार्थी/वादी अपने हिस्सा की भूमि में से एक बीघा भूमि प्रार्थी/प्रतिवादी को देगा। इसी अनुसार भूमि का परस्पर विभाजन किया जाकर प्रार्थी/प्रतिवादी को मुरब्बा नम्बर 50 का किला नम्बर 1, 2, 3 में 12 बिस्वा एवं 8 ता 10 उपरोक्तानुसार कुल 5.12 बीघा भूमि विभाजन में दी गयी एवं शेष भूमि 6.18 बीघा पर भी प्रार्थी/प्रतिवादी की कब्जा काश्त रही। अप्रार्थी/वादी, जो कि वर्तमान बदली हुई परिस्थितियों में लालचवश हो गया है, के द्वारा भूमि अपने नाम से अंकित होने का अनुचित लाभ उठाने के आशय से विभाजन का वाद प्रस्तुत कर दिया है जिसमें उपस्थित आने के उपरान्त प्रार्थी/प्रतिवादी के द्वारा कई मरतबा अप्रार्थी/वादी को निवेदन किया गया कि पारिवरिक समझौता एवं घरू बंटवारा अनुसार एक बीघा का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी/प्रतिवादी के नाम से करवाकर प्रार्थी/प्रतिवादी को खातेदार मान लेवे एवं घरू विभाजन अनुसार मुरब्बा नम्बर 50 का किला नम्बर 1, 2, 3 में 12 बिस्वा एवं 8 ता 10 उपरोक्तानुसार कुल 5.12 बीघा भूमि विभाजन करवाकर प्रार्थी/प्रतिवादी के नाम से अंकन करवा लेवे एवं तमाम भूमि पर प्रार्थी/प्रतिवादी की फसल काश्त की हुई है इसलिये अपने हिस्सा की 6.18 बीघा का कब्जा जबरन एवं बेजा तौर से प्राप्त करने का प्रयास ना करे जिस पर अप्रार्थी/वादी पूर्व में ऐसा करने से टालमटोल करता रहा एवं अन्ततः दिनांक 28.01.2021 को ऐसा करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया जिस पर प्रार्थी/प्रतिवादी को मौजूदा काउन्टर क्लेम प्रस्तुत करने का हेतूक प्राप्त हुआ है। लिहाजा जवाब वाद पत्र मय शपथ पत्र एवं काउन्टर क्लेम के प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र वादी सव्यय निरस्त फरमाया जावे एवं काउन्टर क्लेम प्रार्थी/प्रतिवादी स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी/प्रतिवादी को तहसील व जिला श्रीगंगानगर के चक 10 जी छोटी, पटवार क्षेत्र 27 जी.जी. का खाता संख्या 3/4, मुरब्बा नम्बर 50 के किला नम्बर 1, 2, 3 में 12 बिस्वा एवं 8 ता 10 उपरोक्तानुसार कुल 5.12 बीघा भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर उपरोक्तानुसार विभाजन कर राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी/प्रतिवादी के नाम से अंकन करने एवं पृथक पृथक लगान कायम करने के आदेश पारित किये जावें।

दिनाक 19.02.2021 को पक्षकारान द्वारा उपस्थित आकर राजीनामा मय शपथ पत्र एवं अपने अपने पहचान पत्र की फोटो प्रति प्रस्तुत की गई वादी की शिनाख्त वादी

सहायक कलक्टर एव
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

अधिवक्ता श्री संजय जनवेजा एंव प्रतिवादीगण की शिनाख्त प्रतिवादीगण के अधिवक्ता श्री मोहन लाल छाबड़ा द्वारा की गई। अतः राजीनामा के तथ्यो के अनुसार प्रकरण में लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर गांव के मौजूज व्यक्तियों ने प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्षकारान का आपस में राजीनामा करवा दिया है, अब वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य कोई विवाद नहीं रहा है। अतः वादी एवं प्रतिवादीगण उक्त वाद को निम्न प्रकार से डिक्री करवाना चाहते हैं:–

वादी अमरजीत सिंह पुत्र श्री महेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 9 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर का हिस्सा चक 10 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 3/4 का मुरब्बा नम्बर 50 का किला नम्बर 5(0.063 है0 नहरी पूर्वी हिस्सा) किला नम्बर 6 ता 10(प्रत्येक 0.253 है0 नहरी) 13/2(0.126), 14 व 15(प्रत्येक 0.253 है0 नहरी) कुल 1.960 है0 नहरी भूमि एवं प्रतिवादी संख्या 1 अमृतपाल सिंह पुत्र श्री महेन्द्र सिंह जाति जटसिख का हिस्सा चक 10 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 3/4 का मुरब्बा नम्बर 50 का किला नम्बर 1 ता 4(प्रत्येक 0.253 है0 नहरी) किला नम्बर 5(0.190 है0 नहरी किला न0 4 के साथ चिपता हुआ भाग) कुल 1.202 है0 नहरी भूमि का खातेदार घोषित किया जावे उक्त भूमि वादी एवं प्रतिवादी के नाम से दर्ज करवाई जाकर अलग लगान कायम करने का आदेश फरमाया जावे। पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर यह राजीनामा किया है। अतः उक्त वर्णित अनुसार वाद पत्र का निर्णय व डिक्री पारित की जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर दिया जावे तो पक्षकारान को कोई एतराज ना होगा।

दिनांक 23.02.2021 को जवाब राज्य पक्ष प्रस्तुत। जवाब राज्य पक्ष के अनुसार वाद के बिन्दु संख्या– 1,3,4,5 को सिद्व करने का भार वादी पर है। बिन्दु संख्या 02 राजस्व रिकार्ड की सीमा तक स्वीकार है। बिन्दु संख्या 6,7 कानुनी है। वादी अपने परिवार में सदस्यो के हिस्से तक ही हक प्राप्त करने का अधिकारी है।

अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गई।

पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 19.02.2021 एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों क्रमशः चक 10 जी छोटी पटवार हल्का 27 जी जी भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बुर्जवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 एवं नामान्तरण संख्या 501 दिनांक 19.01.2008 एवं नामान्तरण संख्या 701 दिनांक 09.07.2015 का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि पक्षकारान वादग्रस्त कृषि भूमि के अभिलिखित खातेदार है तथा प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर वादग्रस्त कृषि भूमि का विभाजन करवाने के अधिकारी हैं।

आदेश

अतः वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 की सहमति/राजीनामा के आधार पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 में वादग्रस्त कृषि भूमि का निम्न प्रकार से विभाजन किया जाता है–

वादी अमरजीत सिंह पुत्र श्री महेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 9 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर का हिस्साः– चक 10 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 3/4 का मुरब्बा नम्बर 50 का किला नम्बर 5(0.063 है0 नहरी पूर्वी हिस्सा) किला नम्बर 6 ता 10(प्रत्येक 0.253 है0 नहरी) 13/2(0.126), 14 व 15(प्रत्येक 0.253 है0 नहरी) कुल 1.960 है0 नहरी भूमि एवं **प्रतिवादी संख्या 1** अमृतपाल सिंह पुत्र श्री महेन्द्र सिंह जाति जटसिख का हिस्साः– चक 10 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 3/4 का मुरब्बा नम्बर 50 का किला

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक

Scanned with CamScanner

नम्बर 1 ता 4(प्रत्येक 0.253 है0 नहरी) किला नम्बर 5(0.190 है0 नहरी किला न0 4 के साथ चिपता हुआ भाग) कुल 1.202 है0 नहरी भूमि।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करें। उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवं उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा। खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार पर्चा डिकी हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किए जाने पर आदेशानुसार पर्चा डिकी जारी की जावे।

निर्णय खुले खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 08.04.2021 को जारी किया गया।

उम्मेद सिंह रतनू
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डाधिकारी
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

(ORDER 20 RULE 6-7 CPC)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – श्री उम्मेद सिंह रतनू , आर.ए.एस.
वादपत्र संख्या 053/2020
अन्तर्गत धारा 53, राज. काश्तकारी अधिनियम

1. अमरजीत सिंह पुत्र श्री महेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 9 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)

....वादी

व ना म

1. अमृतपाल सिंह पुत्र श्री महेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 9 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर।
3. शाखा प्रबंधक, एसबीबीजे (हाल एसबीआई) चूनावढ़

...प्रतिवादीगण

उपस्थित– श्री संजय जनवेजा (वादी)
श्री दिनेश छाबड़ा (प्रतिवादी 1)
राज पैरोकार (प्रतिवादी 2)
श्री भगवान दास (प्रतिवादी 3)

दिनांक 08.04.2021

वादपत्र संख्या 053/2020
अन्तर्गत धारा 53, राज. काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण में न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर द्वारा वादी अधिवक्ता श्री संजय जनवेजा व प्रतिवादी संख्या 1 अधिवक्ता श्री दिनेश छाबड़ा एवं पैरोकार राज प्रतिवादी– 2 तथा प्रतिवादी संख्या 3 अधिवक्ता श्री भगवान दास की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि –

वादी अमरजीत सिंह पुत्र श्री महेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 9 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर का हिस्साः– चक 10 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 3/4 का मुरब्बा नम्बर 50 का किला नम्बर 5(0.063 है0 नहरी पूर्वी हिस्सा) किला नम्बर 6 ता 10(प्रत्येक 0.253 है0 नहरी) 13/2(0.126), 14 व 15(प्रत्येक 0.253 है0 नहरी) कुल 1.960 है0 नहरी भूमि एवं **प्रतिवादी संख्या 1** अमृतपाल सिंह पुत्र श्री महेन्द्र सिंह जाति जटसिख का हिस्साः– चक 10 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 3/4 का मुरब्बा नम्बर 50 का किला नम्बर 1 ता 4(प्रत्येक 0.253 है0 नहरी) किला नम्बर 5(0.190 है0 नहरी किला न0 4 के साथ चिपता हुआ भाग) कुल 1.202 है0 नहरी भूमि। अतः डिक्री जारी की जाती है।

रूपये ...शून्य ....वास्ते...शून्य. ....खर्चा इस प्रकरण पर हुऐ व्यय मय ब्याज..शून्य.....दर वार्षिक ..शून्य .....आज की तिथि से वसूली दिवस तक अदा करें

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 08 अप्रैल, 2021 को जारी की गयी.

उम्मेद सिंह रतनू
सहायक कलक्टर (आर.ए.एस.) एवं
न्यायालय सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

वादी	राशि (00.00)	प्रतिवादी	राशि (00.00)
स्टाम्प वादपत्र	00.00	स्टाम्प वकालतनाम	00.00
स्टाम्प वकालतनाम	00.00	स्टाम्प आवेदनपत्र	00.00
स्टाम्प अभिलेखीय साक्ष्य	00.00	वकील शुल्क	00.00
वकील शुल्क	00.00	व्यय साक्षीगण	00.00
व्यय साक्षीगण	00.00	आयुक्त शुल्क	00.00
आयुक्त शुल्क	00.00	व्यय इजराय	00.00
कुल	**00.00**	**कुल**	**00.00**

उम्मेद सिंह रतनू
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner